

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 20, 2015/पौष 30, 1936

No. 125]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 20, 2015/PAUSA 30, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2015

का.आ. 185(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि त्रिपुरा राज्य में ए.डी.बी.जी.सी.एस. से बरमुरा जी.सी.एस तक प्राकृतिक गैस परिवहन के लिए ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड के द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए।

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है और जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा (3) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओल्ड ओबीएच बिल्डिंग, ओएनजीसी साउथ कॉलोनी, बाधारघाट, अगरतला, त्रिपुरा-799014 को लिखित रूप से आपत्ति भेज सकेगा।

अनुसूची**मौजा : चम्पक नगर****उप-संभाग : जिरानीया**

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि को पी.एम.पी. अधिनियम, 1962 की उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

अतिरिक्त भूमि की अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	जिरानीया	चम्पकनगर	99/1	2439/p	नाल	0.10
2				129/3	6145/p	नाल	0.30
3				329	6602/p	नाल	0.08
4				31/5	6247/p	नाल	0.15
5				1126	2766/7405/p	नाल	0.07
6				1641	6259/p	नाल	0.04
7				289	6586/p	नाल	0.06
8				667/5	6951/7165/p	नाल	0.10
कुल							0.90

मौजा : चाम्पावारी**उप-संभाग : जिरानीया**

निम्नलिखित अनुसूचित अतिरिक्त भूमि को पी.एम.पी. अधिनियम, 1962 की उप-धारा 3(1) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है

अतिरिक्त भूमि की अनुसूची :-

क्र. सं.	जिला	उप-संभाग	मौजा	खसरा सं	प्लॉट सं	भूमि का वर्ग	एकड़ में क्षेत्रफल
1	पश्चिम त्रिपुरा	जिरानीया	चाम्पावारी	27/1, 3	586/p	भिट्टि(टिला)	0.10
2				27/2	580/p	भिट्टि(टिला)	0.41
3				81	585/p	पुकुर	0.10
4				34	584/p	टिला	0.14
5				10/2	626/p	भिट्टि(टिला)	0.15
6				12	627/p	भिट्टि(टिला)	0.06
7				4/76	694/p	भिट्टि(टिला)	0.22
8				4/76	693/p	भिट्टि(टिला)	0.17
9				4/76	695/p	भिट्टि(टिला)	0.27
10				27/1	588/p	भिट्टि(टिला)	0.12
11				1/10	576/p	टिला	0.10
12				1/10	547/p	भिट्टि(टिला)	0.27
13				1/10	579/p	टिला	0.10
कुल							2.21

[फा. सं. ओ-12026/03/2014/ओ. एन. जी.-III]

के. एम. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2015

S.O. 185(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Natural Gas from **ADB GCS to Baramura GCS** a pipeline should be laid in the state of Tripura by Oil and Natural Gas Corporation Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipelines are proposed to be laid and which are described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipelines under the land to Competent Authority, Old OBH Building, ONGC South Colony, Badharghat, Agartala-799014.

SCHEDULE

Mouja : Champak Nagar**Sub-Division :- Jirania**

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included/increased after Publication u/s 3(1) of PMP Act, 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No	District	Sub-Division	Mouja	Khatian No.	Plot. No.	Class of Land	Area in acre
1	West Tripura	Jirania	Champak Nagar	99/1	2439/p	Nal	0.10
2				129/3	6145/p	Nal	0.30
3				329	6602/p	Nal	0.08
4				31/5	6247/p	Nal	0.15
5				1126	2766/7405/p	Nal	0.07
6				1641	6259/p	Nal	0.04
7				289	6586/p	Nal	0.06
8				667/5	6951/7165/p	Nal	0.10
Total							0.90

Mouja : Champabari**Sub-Division :- Jirania**

The following Schedule of Additional Plots & Area have been included/increased after Publication u/s. 3(1) of PMP Act, 1962

Schedule of Additional Land :-

Sl. No	District	Sub-Division	Mouja	Khatian No.	Plot. No.	Class of Land	Area in acre
1	West Tripura	Jirania	Champabari	27/1, 3	586/p	Viti (Tilla)	0.10
2				27/2	580/p	Viti (Tilla)	0.41
3				81	585/p	Pond	0.10
4				34	584/p	Tilla	0.14
5				10/2	626/p	Viti (Tilla)	0.15
6				12	627/p	Viti (Tilla)	0.06
7				4/76	694/p	Viti (Tilla)	0.22
8				4/76	693/p	Viti (Tilla)	0.17
9				4/76	695/p	Viti (Tilla)	0.27
10				27/1	588/p	Viti (Tilla)	0.12
11				1/10	576/p	Tilla	0.10
12				1/10	547/p	Viti (Tilla)	0.27
13				1/10	579/p	Tilla	0.10
Total							2.21

[F. No. O-12026/03/2014/ONG-III]

K. M. SINGH, Under Secy.